

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



CIRCULAR No. 467

No. 5-1(20)/2008-PD

Dated 17th March, 2009

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To,

The Directors/Heads of all
National Labs./Instts of CSIR

Sub: Benefit of Non Practicing Allowance to Scientist Gr. IV.

Sir,

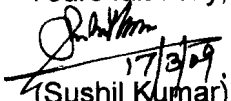
In continuation of this office circular No. 5-1(20)/2008 dated 28.2.2008 on the above subject, I am directed to state that DG, CSIR has been pleased to approve to extend the benefit of Non Practicing Allowance @25% of their basic pay to Scientists Gr.IV having the qualification of full time degree in BAMS & MD (Ayurveda), subject to the condition that Basic Pay + NPA does not exceed Rs. 85000/- per month.

The benefit will be available with effect from the date of issue of these orders.

It is requested to bring the above decision to the notice of all concerned in your Laboratory/Institute for guidance and compliance.

Hindi version will follow.

Yours faithfully,


(Sushil Kumar)
Sr. Deputy Secretary

Copy to:-

1. Sr. COA/COA/AO of all Labs/Instts.
2. Sr. Dy. FA/Dy. FA/Sr. F&AO/F&AO of all Labs./Instts.
3. Staff Officer to DG, CSIR
4. US & PPS to JS (Admin.)
5. PS to FA, CSIR
6. CVO, CSIR
7. Legal Adviser, CSIR
8. Head, URDIP/IPMD/HRDC/RDPD/TNBD/ISTADS
9. All Dy. Secretaries/Under Secretaries/Section Officer (G) in CSIR Hqrs. & CSIR Complex
10. All Sr.Dy.FA/Dy.FA/Sr.F&AO/F&AO/SO (F&A) in CSIR Hqrs. and CSIR Complex
11. Heads of RAB and HRDG at CSIR Complex, Pusa, New Delhi
12. Dr. R.B. Misra, Secretary, Staff Side, JCM, Indian Institute of Toxicology Research, Post Box No.80, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow-226001
13. Head, IT Division with the request to make this circular available in the website.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



परिपत्र सं. 467

सं. 5-1(20)/2008-पीडी

दिनांक: 17 मार्च, 2009

प्रेषक

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय

प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: वैज्ञानिक समूह-IV को प्रैक्टिसबंदी भत्ते का लाभ देने संबंधी

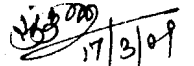
महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के दिनांक 28.2.2008 के परिपत्र सं.5-1(20)/2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक, सीएसआईआर ने बीएएमएस और एमडी (आयुर्वेद) में पूर्णकालिक डिग्री की अर्हता रखने वाले समूह-IV के वैज्ञानिकों को उनके मूल वेतन के 25% की दर से प्रैक्टिसबंदी भत्ते का लाभ देने को अनुमोदन प्रदान किया है, बशर्ते कि मूल वेतन+एनपीए रु.85000/- प्रतिमाह से अधिक न हो।

यह लाभ इन आदेशों के जारी होने की तारीख से दिया जाएगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्णय को आपकी प्रयोगशाला/संस्थान के सभी संबंधितों के मार्गदर्शन एवं अनुपालन हेतु ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,



(सुशील कुमार)

वरिष्ठ उप सचिव

प्रति:

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के स्टाफ अधिकारी
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव तथा अवर सचिव
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
8. प्रधान, यूआरडीआईपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/आरडीपीडी/टीएनबीडी/इस्टैड्स
9. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी उप सचिव/अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी (सा.)
10. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के सभी वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी/वित्त एवं लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
11. प्रधान, आरएबी एवं एचआरडीजी, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली
12. डॉ. आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, भारतीय विषयविज्ञान अनुसंधान संस्थान, पोस्ट बॉक्स नं.80, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001
13. प्रधान, आईटी डिवीजन - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।